न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 102/प्रा0पत्र/2020

1. घांसी आयु 65 वर्ष आ0 भीवां जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ, तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. रमेश आ0 करणा जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
2. भरत आ0 करणा जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
3. बन्टी आ0 करणा जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
4. बाला पुत्री करणा जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
5. लछमा पत्नी स्व0 करणा जाति मीणा निवासी स्वरूपगढ तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी।
6. राज0 राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार सा0 हिण्डोली जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 31/03/2021

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 10 बिस्वा, 186 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 187 रकबा 13 बिस्वा, 188 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 189 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 192 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 203 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की सहखातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम घांसी पिता भीवां दर्ज है, लेकिन ग्राम स्वरूपगढ की प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रार्थी का नाम घीस्या पि0 भीवां दर्ज कर दिया गया है। उक्त इन्द्राज अवैध व अशुद्व है जो निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम घांसी दर्ज है लेकिन उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का नाम घीस्या दर्ज कर देने से प्रार्थी को उक्त भूमि पर बैंक आदि से ऋण वगेरह लेने में दिक्कत आती है। प्रार्थी के पास घीस्या के बाबत पहचान के कोई दस्तावेजात नही है। इस कारण प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

...त भूमि पर सरकार की योजनाओं का लाभ भी नही ले पा रहा है। ग्राम स्वरूपगढ की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की खतोनी संख्या 49 में प्रार्थी का नाम घांसी पि0 भीवा दर्ज है लेकिन इसी ग्राम की खाता खतोनी संख्या 91 में प्रार्थी का नाम घीस्या दर्ज कर दिया जो अशुद्व है। उक्त इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि जमाबंदी संवत 2072 से 2075 की खतोनी संख्या 49 के अनुरूप प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि में अपने नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर घीस्या के स्थान पर घासी दर्ज करवावें। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि ग्राम स्वरूपगढ पटवार मण्डल रोशन्दा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम स्वरूपगढ की भूमि खसरा संख्या 138 रकबा 10 बिस्वा, 186 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, 187 रकबा 13 बिस्वा, 188 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा 189 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, 192 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 203 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के कॉलम में दर्ज घीस्या पि0 भीवां के स्थान पर घांसी पि0 भीवां दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 6 अस्वीकार है। वादी का नाम ग्राम स्वरूपगढ की खतोनी खाता संख्या 49 में घासी पि0 भीवां दर्ज है जबकि जमाबंदी 2072 से 2075 खाता नम्बर 91 किता 7 रकबा 08.09 बीघा में घीस्या दर्ज है स्वयं के शपथ पत्र, आधार कार्ड, बैक पासबुक से घासी दर्ज किया जाना शुद्व नाम है। अतः घीस्या के स्थान पर घासी दर्ज किये जाने में आपत्ति नही है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम जमाबंदी खसरा संख्या 138 में घीस्या पि0 भीवा दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जबकि प्रार्थी समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम घासी पि0 भीवा दर्ज है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी ऋण प्राप्त करने व सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। अतः प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज घीस्या पि0 भीवा के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर घांसी पि0 भीवा कोम मीणा दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों आधार कार्ड नम्बर 272629044690 भामाशाह कार्ड नम्बर VNVPVRH, बैक पासबुक एसबीआई हिण्डोली खाता संख्या 61190531551, परिवार राशनकार्ड संख्या 00190 ग्राम पंचायत बसोली व जमाबंदी ग्राम स्वरूपगढ खाता संख्या 49 एवं पटवारी हल्का रोशन्दा व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

अभिलेख निरीक्षक मेण्डी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम घांसी पि0 भीवा दर्ज है, अतः मुताबिक दस्तावेजात के जमाबंदी में अंकित घीस्या के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम घांसी पि0 भीवा कोम मीणा दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 91 की कृषि भूमि खसरा संख्या 138, 186, 187, 188, 189, 192, 203 कुल किता 7 कुल रकबा 8.09 बीघा वाके ग्राम स्वरूपगढ पटवार मंडल रोशन्दा में घीस्या पि0 भीवा के नाम के अंकन को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम घांसी पि0 भीवा कोम मीणा दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली